# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
## (पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 2022/46** **दायरा दिनांक : 10.05.2022**

उनवान

1. शांति बाई आयु 58 साल बेवा श्योपाल, जाति मेहर, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
2. भैरूलाल आयु 33 साल पुत्र श्री श्योपाल, जाति मेहर, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
3. आकाश आयु 25 साल पुत्र श्योपाल, जाति मेहर, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
4. मीना आयु 30 साल पुत्री श्योपाल, जाति मेहर, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
5. ज्योति आयु 27 साल पुत्री श्योपाल, जाति मेहर, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. गोपाल लाल आयु 65 साल पुत्र श्री श्रीया, जाति मेहर, निवासी बोहत हाल निवासी रामपुरा भाटापाडा कोम्पलेक्स के पास कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
2. श्रवण कुमार आयु 51 साल पुत्र श्री श्रीया, जाति मेहर, निवासी बोहत हाल निवासी रामपुरा भाटापाडा कोम्पलेक्स के पास कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

**निर्णय** **दिनांक : 21.10.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 37/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बोहत में खाता संख्या 787 खसरा नं. 258/3121 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नं. 2589 रकबा 1.59 हेक्टर, खसरा नं. 889 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नं. 892 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नं. 894 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नं. 895 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नं. 896 रकबा 0.23 हेक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 2.85 हेक्टर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व मिसल के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उक्त प्रकरण का निस्तारण राजस्व अभियान केम्प बोहत के अन्तर्गत किया गया है। अपीलांट अनपढ़ थी, इसी बात का फायदा उठाकर रेस्पोडेंट कम 1 व 2 ने अच्छी भूमि को/उपजाऊ भूमि को अपने पास रख लिया तथा नकारा जमीन खसरा नं. 259 रकबा 1.59 हेक्टर में से 0.86 हेक्टर अपीलांट के खाते पृथक से दर्ज कर दी। अपीलांट व रेस्पोडेंट कम 1 व 2 आपस में रिश्तेदार होने से प्रतिवर्ष रेस्पोडेंट कम 1 व 2 ही भूमि को जोत लेते थे और मुनाफा प्रति वर्ष देते आ रहे थे।

राजस्व केम्प बोहत के द्वारा वक्त राजीनामा यह तय हुआ था कि वादी/अपीलांट को उनके कब्जे की आराजी ही पृथक से खाते दर्ज करवायी जा रही है। लेकिन रेस्पोडेंट कम 1 व 2 ने अनु उपजाऊ/नाकारा आराजी धोखे से अपीलांट के खाते दर्ज करवा दी है। इस कारण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील करने को बाध्य होना पड़ रहा है।

न्याय का यह सिद्धांत है कि शामलाती खाते की आराजी में अच्छी से अच्छी व बुरी में से बुरी का समानान्तरण रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए था, लेकिन अपीलांट के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर रेस्पोडेंट कम 1 व 2 ने नकारा आराजी अपीलांट के खाते दर्ज करवा दी है, विश्वास में अपीलांट के साथ परिवारजनों के द्वारा धोखा दिया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2018 निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.04.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि शामलाती खाते की आराजी है, जिसमें रेस्पोडेंट ने अच्छी आराजी अपने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नाम करवा ली। आराजी का अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा होना चाहिए। राजस्व कैम्प अभियान में निर्णय किया गया है जिसमें अपीलांट अनुपस्थित रहा है। अपीलांट अनपढ होने के कारण उनके हस्ताक्षर करवा कर राजीनामा पेश किया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजीनामा ना तो किसी अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया है और ना ही उसमें अपीलांट के अभिभाषक के हस्ताक्षर अंकित है तथा राजीनामा में दो गवाह के हस्ताक्षर भी नहीं करवाये गये है। इससे यह स्पष्ट है कि इस राजीनामा में सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। सिर्फ रीडर द्वारा मार्क किये हुए और बिना तस्दीक व प्रमाणित किये राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 25.06.2018 विधि विरूद्व प्रकट होता है, जिसे हम खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानों की पालना करते हुए, उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.12.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 21/10/24

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा